प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या29/ 2021)

<u>तत्काल जारी करने के लिए</u>

<u>भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण</u>

भादूविप्रा ने 'रोडमैप टू प्रमोट ब्रॉडबैंड कनेक्टीविटी एंड इन्हांस्ड ब्रॉडबैंड स्पीड' पर पूरक परामर्श पत्र जारी किया।

नई दिल्ली,19.05.2021–भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा)ने आज 'रोडमैप टू प्रमोट ब्रॉडबैंड कनेक्टीविटीएंड इन्हांस्ड ब्रॉडबैंड स्पीड' पर पूरक परामर्श पत्र जारी किया है।

1. भादूविप्रा को दूरसंचार विभाग से दिनांक 12 मार्च 2021को एक संदर्भ पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें देश में फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड सेवाओं के प्रसार के संबंध में समेकित एवं अद्यतन सिफारिशें प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया है।

2. दूरसंचार विभाग ने वर्तमान वास्तविक मैट्रिक्स और प्रासंगिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड से प्राप्त राजस्व पर लाइसेंस शुल्क की छूट,फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड से प्राप्त राजस्व पर लाइसेंस शुल्क की प्रास्तावित छूटके दुरुपयोग की संभावना और फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड सेवाओं के उपयोग हेतु उपभोक्ताओं को सीधा लाभ देकर फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड सेवाओं के प्रसार को बढ़ावा देने जैसे नए मुद्दे उठाए हैं। चूंकि न तो 'डेलीवेरिंग ब्रॉडबैंड क्विकली: वॉट डू वी नीड टू डू?'पर दिनांक 17 अप्रैल 2015 के परामर्श पत्र में और ना ही 'रोडमैप टू प्रमोट ब्रॉडबैंड कनेक्टीविटी एंड इन्हांस्ड ब्रॉडबैंड स्पीड' पर दिनांक 20 अगस्त, 2020 के परामर्श पत्र में हितधारकों के साथ इन मुद्दों पर स्पष्ट परामर्श किया गया था, इसलिए प्राधिकरण ने नियत परामर्श प्रक्रिया का पालन करते हुए, फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड सेवाओं के प्रसार के लिए उपर्युक्त मुद्दों पर एक पूरक परामर्श पत्र जारी करने का निर्णय लिया है।

3. इसके अलावा, दिनांक 20 अगस्त 2020 के परामर्श पत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और साझा करने के लिए अंतर-क्षेत्र सहयोग, एरियल फाइबर संस्थापना के लिए बिजली के खंभों का प्रयोग करना, दूरसंचार इन्फ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने और 5जी स्मॉल सेल्स इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए बिजली के खंभों को साझा करने के लिए आरओडब्ल्यू की अनुमति से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई थी मगर 5जी नेटवर्क के रोल आउट हेतु स्ट्रीट फर्नीचर के उपयोग के लिए कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था। तदनुसार, इस मुद्दे पर एक खंड को इस पूरक परामर्श पत्र के अध्याय-II में शामिल किया गया है।

4. इसपूरक परामर्श पत्र को भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर अपलोड किया गया है। परामर्श पत्र पर हितधारकों की लिखित टिप्पणियां दिनांक 03 जून 2021 तक और प्रति-टिप्पणियां, यदि कोई हों,दिनांक 10जून 2021 तक आमंत्रित की गई हैं।

5. टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियांअधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में ईमेल द्वारा advbbpa@trai.gov.in पर भेजें और कॉपी ja3-nsl@trai.gov.in को भेजें। किसी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए श्री सुनील कुमार सिंघल, सलाहकार (ब्रॉडबैंड और नीति विश्लेषण) से टेली. नंबर +91-11-23221509पर संपर्क करें।

राजीव सिन्हा 19/05/2021

(राजीव सिन्हा)

सचिव (प्रभारी),भादूविप्रा